Doc.No.CD-999/73

RASHTRAPATI BHAVAN,
NEW DELHI.

November 10, 1973.
Kartika 19, 1895.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business)(Hundred-first Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India(Allocation of Business) Rules, 1961, hereinafter referred to as the said Rules, in the First Schedule,—

(i) for entry 13, the following entry shall be substituted, namely:-

"13. Ministry of Labour (Shram Mantralaya).";

(ii) after entry 19, the following entry shall be inserted, namely:-

"19A. Ministry of Supply and Rehabilitation (Poorti aur Punarvas Mantralaya):

(i) Department of Rehabilitation (Punarvas Vibhag).
(ii) Department of Supply(Poorti Vibhag).";

(iii) entry 28 shall be omitted;

3. In the Second Schedule to the said Rules —

(a) (i) for the heading "MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRAM AUR PUNARVAS MANTRALAYA)" the heading "MINISTRY OF LABOUR(SHRAM MANTRALAYA)" shall be substituted;

2/-..

(ii) the sub-heading "A. DEPARTMENT OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRAM AUR ROZGAR VIBHAG)" shall be omitted:

(iii) the sub-heading "B. DEPARTMENT OF REHABILITATION (PUNARWAS VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted;

(b) after the heading "MINISTRY OF STEEL AND MINES(ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)" and the entries thereunder, but before the heading "MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (PARYATAN AUR NAGAR VIMANAN MANTRALAYA)", the following heading and entries shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION
(POORTI AUR PUNARVAS MANTRALAYA)

A. DEPARTMENT OF REHABILITATION
(PUNARVAS VIBHAG)

*1. Camps for displaced persons from East Pakistan.
*2. Relief for displaced persons (including supplies of medicine, food, clothing and other necessities).
*3. Rehabilitation of displaced persons.
*4. Assistance to displaced persons from East Pakistan in setting up business or industry including provision of settlement on land.
*5. Housing of displaced persons.
*6. Setting up of new industries, for providing employment, in places where there are heavy concentration of displaced persons from East Pakistan.
*7. Rehabilitation Industries Corporation.
*8. Matters relating to grants-in-aid to educational, medical and cultural institutions.
*9. Training and employment of displaced persons from East Pakistan.

---

* As regards rehabilitation matters in States, the Central Government is concerned mainly with questions of policy in respect of the subjects marked with an asterisk and is not directly concerned with administrative and executive details which are the functions of the State Governments, except where camps, rehabilitation colonies, educational institutions, training centres, etc. are directly administered by the Central Government.

.....3/-

10. Management of evacuee property.
11. The Evacuee Interest (Separation) Act, 1951.
12. The Transfer of Evacuee Deposits Act, 1954.
13. The Displaced Persons (Debts Adjustment) Act, 1951.
14. Matters relating to the Goa, Daman and Diu Administration of Evacuee Property Act, 1964.
15. All negotiations concerning the evacuee property — movable and immovable of displaced persons from Pakistan left behind by them in Pakistan and restoration of movable property including fire-arms, lockers, safe-depostis, etc.
16. Verification of displaced persons' claims for the immovable property left in West Pakistan.
17. Settlement of verified claims and payment of rehabilitation grants to displaced persons in respect of immovable property left by them in West Pakistan.
18. Valuation and disposal of Government built and evacuee properties.
19. Verification and payment of claims of displaced Government servants of undivided Provinces and servants of States and local bodies in respect of pensions, provident funds, leave salary and security deposits.
20. Rehabilitation of migrants from Pakistan-occupied areas of Jammu & Kashmir.
21. Rehabilitation of Muslim migrants who have returned from East Pakistan to West Bengal under the Nehru-Liaquat Pact; rehabilitation of Muslims internally displaced in West Bengal at the time of communal disturbances on the partition of the country; and restoration of mosques and other places of religious worship to Muslims in West Bengal.
22. Dandakaranya Scheme — Integrated development of Dandakaranya area for the rehabilitation of East Pakistan displaced persons and welfare of tribals.
23. Development of such special areas as may be indicated by the Prime Minister from time to time.
24. Relief and rehabilitation measures for Indian nationals repatriated from Burma, Ceylone and Mozambique.
25. Relief and Rehabilitation of the Tibetan Refugees.
26. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.

B. DEPARTMENT OF SUPPLY (POORTI VIBHAG)

1. Purchase, inspection and shipment of stores for the Central Government other than the items the purchase, inspection and shipment of which are delegated to other authorities by a general or special order.

4/-..

2. Disposal of surplus stores.
3. Residual work of supply and disposal relating to the late war organisations including the Directorate General, Aircraft, including Civil Maintenance Units and Directorate General, Ship Repair.
4. Administration of —

(a) Directorate General of Supplies and Disposals;
(b) Office of the Chief Pay and Accounts Officer, New Delhi;
(c) National Test House, Alipore, Calcutta;
(d) India Supply Mission, the United Kingdom;
(e) India Supply Mission, the U.S.A.";

(c) the heading "DEPARTMENT OF SUPPLY(POORTI VIBHAG)"

and the entries thereunder shall be omitted.

V.V. GIRI
PRESIDENT

राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली ।

प्रलेख संख्या सी0डी0 999/73 तारीख 10 नवम्बर, 1973
19 कार्तिक, 1895

अधिसूचना

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (एक सौ एकवां संशोधन) नियम, 1973 है ।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, प्रथम अनुसूची में —

(i) प्रविष्टि 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"13. श्रम मंत्रालय ।"

(ii) प्रविष्टि 19 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"19 क. पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय :

(i) पुनर्वास विभाग ।

(ii) पूर्ति विभाग । "

(iii) प्रविष्टि 28 का लोप कर दिया जाएगा,

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में —

(क) (i) "श्रम और पुनर्वास मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, "श्रम मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा ।

----- 2 /-

(ii) "क. श्रम और रोजगार विभाग" उप शीर्षक का लोप कर दिया जाएगा,

(iii) "ख. पुनर्वास विभाग" उप-शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा,

(ख) "इस्पात और खान मंत्रालय" शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों के पश्चात्, किन्तु "पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय" शीर्षक के पहले, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

क. पुनर्वास विभाग

* 1. पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए शिविर।
* 2. विस्थापित व्यक्तियों के लिए सहायता (जिसके अन्तर्गत औषध, खाद्य, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं के प्रदाय हैं)।
* 3. विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास।
* 4. पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को कारबार या उद्योग स्थापित करने में सहायता, जिसके अन्तर्गत भूमि पर बसाए जाने की व्यवस्था है।
* 5. विस्थापित व्यक्तियों का आवासन।
* 6. उन स्थानों में, जहां पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का भारी संकेन्द्रण है, नियोजन की व्यवस्था करने के लिए नए उद्योगों की स्थापना।
* 7. पुनर्वास उद्योग निगम।
* 8. शैक्षिक, चिकित्सीय और सांस्कृतिक संस्थाओं को सहायता अनुदानों से सम्बद्ध मामले।
* 9. पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों का प्रशिक्षण और नियोजन।

* राज्यों के पुनर्वास मामलों की बाबत केन्द्रीय सरकार तारांकित विषयों के बारे में मुख्यतः नीति के प्रश्नों से सम्बद्ध है और उन दशाओं के सिवाय जिनमें शिविर, पुनर्वास बस्तियां, शिक्षा संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, आदि केन्द्रीय सरकार के सीधे प्रशासन में हों, प्रशासनिक और कार्यपालक ब्यौरों से, जो राज्य सरकारों के कृत्य हैं, केन्द्रीय सरकार सीधे सम्बद्ध नहीं है।

(----3)

10. निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबंध ।

11. निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951 ।

12. निष्क्रान्त-निक्षेप अन्तरण अधिनियम, 1954 ।

13. विस्थापित व्यक्ति (ऋण समायोजन) अधिनियम, 1951 ।

14. गोवा, दमण और दीव निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1964 से सम्बद्ध मामले ।

15. पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी हुई जंगम और स्थावर निष्क्रान्त सम्पत्ति से सम्बद्ध सभी मामलात तथा जंगम सम्पत्ति का, जिसके अन्तर्गत अन्यायुध, लाकर, सेफडिपाजिट, आदि हैं, वापस दिलाया जाना ।

16. पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी हुई स्थावर सम्पत्ति के लिए विस्थापित व्यक्तियों के दावों का सत्यापन ।

17. विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी हुई स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में उनके सत्यापित दावों का निपटारा और उनको पुनर्वास अनुदानों का संदाय ।

18. सरकार द्वारा निर्मित और निष्क्रान्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन और व्ययन ।

19. अविभाजित प्रान्तों के विस्थापित सरकारी सेवकों और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के सेवकों के पेंशन, भविष्य-निधि, छुट्टी-वेतन और प्रतिभूति-निक्षेप सम्बन्धी दावों का सत्यापन और संदाय ।

20. जम्मू-कश्मीर के पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों से आए प्रवासियों का पुनर्वास ।

(- - - - 4/-)

21. उन मुस्लिम प्रवासियों का पुनर्वास, जो पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी बंगाल को नेहरू-लियाकत करार के अधीन वापस आ गए हैं, देश के विभाजन पर साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण पश्चिमी बंगाल के भीतर ही विस्थापित मुसलमानों का पुनर्वास और पश्चिमी बंगाल में मस्जिदों और धार्मिक पूजा के अन्य स्थानों का, मुसलमानों को वापस दिलाया जाना ।

22. दंडकारण्य स्कीम — पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और वन-जातियों के कल्याण के लिए दंडकारण्य क्षेत्र का एकीकृत विकास ।

23. ऐसे विशेष क्षेत्रों का विकास जो प्रधान मंत्री द्वारा समय-समय पर उपदर्शित किए जाएं ।

24. बर्मा, श्री लंका और मोजाम्बिक से प्रत्यावर्तित भारतीय राष्ट्रिकों के लिए सहायता और पुनर्वास उपाय ।

25. तिब्बती शरणार्थियों की सहायता और पुनर्वास ।

26. इस सूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय या अन्य संगठन ।

ख. पूर्ति विभाग

1. जिन भंडारों का क्रय, निरीक्षण और उन्हें रवाना करने का कार्य किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्य प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित किया गया है, उनसे भिन्न स्टोर का केन्द्रीय सरकार के लिए क्रय, निरीक्षण और रवाना करने का कार्य ।

2. अधिशेष स्टोर का व्ययन ।

3. गत युद्धकालीन संगठनों, जिनके अन्तर्गत विभिन्न अनुरक्षण यूनिटों सहित [illegible] महानिदेशालय और [illegible] महानिदेशालय भी हैं, से विविध पूर्ति और व्ययन का अवशिष्ट कार्य ।

4. निम्नलिखित का प्रशासन :-

(क) पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय,

(ङ) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी का कार्यालय, नई दिल्ली,

(च) राष्ट्रीय परीक्षण गृह, अलीपुर, कलकत्ता,

(छ) भारत मूर्ति मिशन, यूनाइटेड किंगडम,

(ज) भारत मूर्ति मिशन, संयुक्त राज्य अमेरिका ।

(ग) "मूर्ति विभाग" शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ।

व. वे. गिरि
राष्ट्रपति